

पत्रावली कायदा के अन्तर्गत  
 सुनाय लखनवाड़ा में पैरा डूरी परिकल्पना  
 उपपदा कायदा सूचना वगैरे कार्य दायित्व  
 ही, किहाय पत्रावली कोर्ट कोर्ट में  
 दि 15-9-16 को पैरा ही।

5-9-16

पत्रावली पैरा डूरी, उपपदा पर उपस्थित  
 पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे  
 में वधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः  
 पत्रावली साबिक आदेश के अनुसार  
 को पैरा हो

03/11/16

Noted for  
 03-11-16  
 memo  
 मंडल

रीडर  
 सब डिविजन ऑफिसर

3-11-16 - पत्रावली पैरा डूरी उपपदा  
 अधिवक्ता उपपदा वारी अधिवक्ता द्वारा  
 वक्त कोर्ट उपस्थित होकर प्रकरण में अब  
 कोई कार्यवाही नहीं चाहने काबल निवेदन  
 करते हुए प्रमाण में कादेशिका पर Note  
 press के अफंस के साथ दण्डाकार किये  
 गये। अधिवक्ता उचित द्वारा भी दस लेख  
 कोई लेखन नहीं जलाया गया।

Not Press  
 K.K. Jee  
 3/11/16

अतः मंडल प्रकरण में अब कोई कार्यवाही  
 अपेक्षित नहीं रह जाने से प्रकरण खारिज किये  
 जाने के कादेश प्रदान किये जाते हैं।  
 पत्रावली नक्का ले फस की जाकर  
 प्रकरण शुद्ध है।

निर्णय कर - इजलास हुआ गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 बनेडा जिला भीलवाड़ा